न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 38 / 2019
जीसीएमएस न0 2019 / 00074

1. वरदा पिता नाथुजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सतखण्डा तह निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज।

.......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेडा चित्तौडगढ राज०।
2. रामनारायण पिता निर्भयराम धाकड निवासी उंखलिया।
3. कौशल्या पुत्री निर्भयराम धाकड निवासी उंखलिया।
4. मांगी पत्नि निर्भयराम धाकड निवासी उंखलिया।
5. भैरूलाल पिता नानुराम रेगर निवासी सतखण्डा।
6. केशुराम पुत्र राधाकिशन धाकड निवासी उंखलिया।

...... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–	1–	श्री जगदीश मेनारिया	–अधिवक्ता प्रार्थीगण
	2–	पेराकार सरकार स्वयं उपस्थित	– विपक्षी संख्या 1
	2–	श्री यागेन्द्र सौलंकी	– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 6

:: निर्णय ::

दिनांक 21.09.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात वाकै वाके मौजा सतखंडा पटवार हल्का सतखंडा तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके आराजी नं० 375, 376 होकर जिसके पुराने आराजी नं0 523 व 524 हैं।

2. वर्णित आराजियात प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात होकर आराजी नं0 375 के उत्तर दिशा मे नवीन आराजी नं० के अनुसार पूर्व खातेदार वली मोहम्मद पिता रसुल पिंजारा को आराजी नं0 51 / 1711 रकबा 1 बीघा अलोट हुई थी जो प्रार्थी की खातेदारी की आराजी के दक्षिण दिशा की ओर आराजियात से लगी हैं तथा वली मोहम्मद के वारिसानो द्वार उक्त आराजियात को अन्य खातेदार हिम्मतसिंह पिता कालुसिंह राजपुत वछगनलाल पिता तुलसीराम डांगी को विकय कर कब्जा सुपर्द कर दिया तथा कबजा भी वली मोहम्मद के वारिसानो द्वारा वत्त [illegible] से काबिज आराजियात पर दिया गया किन्तु अभी सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बिना किसी वै[illegible]ार के बिना ही किसी आदेश के पुराने आराजी नं0 521 / 1711 [illegible] 51 [illegible] तरमीम बिना किसी अधिकार के प्रार्थी के खातेदारी आराजियात न0 376 के उत्तर [illegible] गलत तरिके से तरमीम कर दी उसको दरुस्त कर पुनः पूर्व वाली स्थिति [illegible] किया जाना [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 13:17:56 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 मय अधिववक्ता उपस्थित हुए तथा ईकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में पटवारी मांगरोल की मौका रिपोर्ट

संलग्न कर पेश की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि ग्राम सतखण्डा शुद्धि किया जाने हेतु प्रस्तावित किया गया आराजी नम्बर 351 मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत साबिक आराजी नम्बर 521/1711 से बना है पत्रावली के साथ संलग्न नामान्तरण संख्या 413 पर चस्पा ट्रेस की नकल प्रति अनुसार गत आराजी नम्बर 521/1711 रकबा 1 बीघा को गत आराजी नम्बर 522 के पश्चिम दिशा में तरमीम दर्शाया गया है जिसका नामान्तरकरण पर चस्पा ट्रेस प्रति से नवीन नक्शा मिलान करने पर उक्त साबिक आराजी नम्बर 521/1711 का नवीन नक्शा ट्रेस में स्थित आराजी नम्बर 373,371,362 में से क्रमशः 0.13 हैक्टैयर, 0.07 हैक्टेयर व 0.06 हैक्टैयर के भाग पर तरमीम बनती है।

4. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम सतखण्डा पटवार हल्का सतखण्डा की पूर्व साबिक आराजी नम्बर 521/1711 के नये आराजी नम्बर 521 की राजस्व नक्शे की तरमीम सहवन से राजस्व कर्मचारीयो द्वारा गलत तरमीम नये राजस्व नक्शे में कर दी गई है उसको दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया गया है किन्तु प्रार्थी ने सभी प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होगा । प्रार्थीगण अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

5. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा सम्वत् नक्शा जांच में यह पाया गया कि आराजी नं.0 आराजी नम्बर 521/1711 के नये आराजी नम्बर 521 की राजस्व नक्शे की तरमीम सहवन से राजस्व कर्मचारीयो द्वारा गलत तरमीम नये राजस्व नक्शे में कर दी गई है जो कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ अन्य दस्तावजे ग्राम सतखण्डा के नामान्तरण संख्या 413 का नक्शा ट्रेस प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 ग्राम सतखण्डा की खाता संख्या 587 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 ग्राम सतखण्डा की खाता संख्या 595 की प्रति, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2058–61, मिलान क्षैत्रफल की प्रति, खाता दुरूस्ती आवेदन पत्र की प्रति पेश कि किन्तु सेटलमेन्ट से पूर्व के साबिक नक्शे में और हाल नक्शे में कोई अन्तर नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक नक्शे अनुसार ही वर्तमान नक्शे में तरमीम की गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के कथनो को प्रमाणित करने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं होता है। प्रार्थीगण अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:56 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रार्थना पत्र न्यायालय में साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7. निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

21/9/23

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा